रजिस्टर्ड सं०—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 10, 1987 (पौष 20, 1908)
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 10, 1987 (PAUSA 20, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गयी विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	7
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	31
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	43
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	257
भाग III—खण्ड 2—पेटेण्ट कार्यालय द्वारा जारी की गयी पेटेण्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	19
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	479
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	5
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई ।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	7
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	31
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	43
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)— Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by general Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	257
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	19
PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	479
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	5
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

* Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 1986

शुद्धि पत्र

सं० 2/14/84-एन० एस०—इस मंत्रालय की दिनांक 21-9-1984 की अधिसूचना संख्या 2/14/84-एन० एस० में तीसरा इनाम (प्रत्येक 20,000 रुपए) शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां हटा दी जाएं :—

"1583839 1402625 रायबरेली/ उत्तर प्रदेश"
लालगंज

ओम पाल सिंह, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 1986

संकल्प

सं० पी-39014/1/86-विपणन— इस मंत्रालय के 14 अगस्त, 1986 के समसंख्यक संकल्प के द्वारा गठित समिति की अवधि को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 14 मई, 1987 तक बढ़ा दिया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अरविन्द वर्मा, संयुक्त सचिव

औद्योगिक विकास विभाग

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 1986

संकल्प

भारत सरकार ने संकल्प सं० डी० डब्ल्यू०आई०-61(84)/एम०/एम० के द्वारा एक दिया-सलाई उद्योग के लिए एक विकास पेनल का गठन किया है जिसकी अवधि 19-11-1984 से 19-11-1986 तक दो वर्षों के लिए होगी।

भारत सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि उपर्युक्त दिया-सलाई उद्योग के विकास पेनल की वैध अवधि को तीन महीने के लिए अर्थात 19-11-1986 से 19-2-1987 तक बढ़ा दी जाए।

आदेश

यह संकल्प भारत के राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

के० सी० गंजवाल, निदेशक (प्रशासन)

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 1986

सं० 14/11/86-समिति—जनसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि डा० जे० एन० बरूआ, निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट को 1 अक्तूबर, 1986 से आगामी आदेश तक डा० एल० के० दोरायस्वामी, निदेशक, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूणे के स्थान पर रासायनिक विज्ञान समूह के समन्वय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। परिणामस्वरूप, डा० बरूआ उक्त समय के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की शासी सभा तथा सोसाइटी के सदस्य रहेंगे तथा भारत के गजट के भाग-I अनुभाग-I में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-7-84-समिति दिनांक 20 मई, 1985 के क्रमांक 5 के अन्तर्गत पैरा-2 में उल्लिखित डा० एल० के० दोरायस्वामी के नाम और पदनाम के स्थान पर डा० जे० एन० बरूआ, निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जोरहाट का नाम तथा पदनाम आएगा।

अशेष प्रसाद मित्र, सचिव
भारत सरकार
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग तथा
महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान
परिषद, नई दिल्ली-110001

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 1986

संकल्प

सं० 25-33(1)/86-एल० डी० टी०-(स्टेट)—भारत सरकार द्वारा एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है ताकि सांख्यिकीय के ठोस सिद्धांतों तथा कार्यात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश में पशु पालन और डेरी के सांख्यिकीय आंकड़ों का चयन करने के लिए विस्तृत पद्धति के बारे में निर्णय लिया जा सकें। प्रबंध समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :—

1. अपर सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग
   (प्रभारी पशु पालन) ..... अध्यक्ष
2. पशु पालन आयुक्त,
   (कृषि और सहकारिता विभाग) ..... सदस्य

3. अर्थ एवं सांख्यिकीय सलाहकार
अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय
(कृषि और सहकारिता विभाग).....सदस्य

4. निदेशक, भारतीय कृषि सांख्यिकीय अनुसंधान संस्थान (आई० ए० एस० आर० आई०)
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) ..... सदस्य

5. संयुक्त निदेशक (पशु पालन सांख्यिकी)
(कृषि और सहकारिता विभाग) ..... सदस्य सचिव

यह समिति निम्नलिखित कार्य करेगी :

(क) पशु पालन एवं डेरी के सांख्यिकी आंकड़ों को एकत्र करने के लिए विद्यमान पद्धति में सुधार करने के लिए सुझाव देना ।

(ख) पशु पालन सांख्यिकी कक्ष द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षणों के ढंग के बारे में निर्णय लेना जिसमें वे स्तर जिस तक परिणामों को प्राप्त करने की जरूरत शामिल है ।

(ग) उन मुख्य मदों के बारे में निर्णय लेना जिस पर सांख्यिकी आंकड़ों को एकत्र किए जाने की आवश्यकता है और इसकी अवधि ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/मंत्रीमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखा कार, केन्द्रीय राजस्व, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और निदेशक, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

बी० बी० महाजन, अपर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 1986

सं० 9-2/85-सी० ए० I—भारत सरकार ने अपने 19 अक्तूबर 1977 के संकल्प संख्या 48012/6/76-सी०ए०-I के तहत स्थापित भारतीय काजू विकास परिषद का तत्काल पुनर्गठन करने का निर्णय किया है । परिषद का पुनर्गठन निम्न प्रकार से होगा :—

1. अध्यक्ष — भारत सरकार द्वारा नामित गैर सरकारी व्यक्ति ।

2. उपाध्यक्ष — बागवानी आयुक्त, भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग ।

3. सदस्य

(क) संसद सदस्य, संसदीय कार्य विभाग द्वारा नामित किए जाने वाले तीन संसद सदस्य (दो लोक सभा से और एक राज्य सभा से) ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि :—

(क) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित किए जाने वाले निम्नलिखित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के बागवानी/कृषि विभागों से एक-एक प्रतिनिधि :—

(1) आन्ध्र प्रदेश
(2) गोवा, दमण और दीव
(3) कर्नाटक
(4) केरल
(5) महाराष्ट्र
(6) उड़ीसा
(7) तमिलनाडु
(8) पश्चिम बंगाल

(ख) उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले उस राज्य सरकार के मृदा संरक्षण विभाग का एक प्रतिनिधि ।

(ग) राज्य सरकारों के निम्नलिखित संगठनों से एक-एक प्रतिनिधि :—

(1) प्रबंध निदेशक, उड़ीसा राज्य काजू विकास निगम, भुवनेश्वर ।

(2) प्रबंध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश वन विकास निगम, हैदराबाद ।

(3) प्रबंध निदेशक, कर्नाटक काजू विकास निगम, मंगलौर ।

(4) प्रबंध निदेशक, केरल काजू विकास निगम, क्विलान (केरल) ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि :—

1. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि ।

2. वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।

3. विस्तार के प्रभारी संयुक्त सचिव या उसका नामित व्यक्ति ।

4. महा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या काजू अनुसंधान से संबंधित उसका नामित व्यक्ति ।

5. महा निदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान-परिषद, नई दिल्ली या काजू प्रोसेसिंग टेक्नोलाजी से संबंधित उसका नामित व्यक्ति ।

6. परियोजना समन्वयक (काजू) केन्द्रीय प्लानटेशन फसल अनुसंधान संस्थान, पोस्ट कुडुलु, कासरगढ़, केरल ।

7. कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग या उसका नामित व्यक्ति ।

8. खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति विभाग) का एक प्रतिनिधि ।

9. संयुक्त आयुक्त (बागवानी) कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार ।

(घ) कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि :—

निम्नलिखित कृषि विश्वविद्यालयों का एक-एक प्रतिनिधि :—

1. उपकुलपति, केरल कृषि विश्वविद्यालय, कोचीन या उसका नामित व्यक्ति ।
2. उपकुलपति, कृषि वैज्ञानिक विश्वविद्यालय बंगलौर या उसका नामित व्यक्ति ।
3. उपकुलपति तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय या उसका नामित व्यक्ति ।
4. उपकुलपति, कोंकण कृषि विद्यापीठ, महाराष्ट्र दिपोल्ली-415712 (जिला रत्नागिरी) या उसका नामित व्यक्ति ।
5. उपकुलपति, आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र-नगर, हैदराबाद या उसका नामित व्यक्ति ।

(ङ) उत्पादकों के प्रतिनिधि :—

निम्नलिखित प्रमुख काजू उत्पादक राज्यों से संबंधित राज्य-सरकारों द्वारा नामित किए जाने वाले उत्पादकों के 8 प्रतिनिधि:-

1. आन्ध्र प्रदेश
2. गोवा, दमण और दीव
3. केरल
4. कर्नाटक
5. महाराष्ट्र
6. उड़ीसा
7. तमिलनाडु
8. पश्चिम बंगाल

(च) व्यापार के प्रतिनिधि; —

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सिफारिश किए जाने वाले व्यापार के तीन प्रतिनिधि ।

(छ) उद्योग के प्रतिनिधि :—

उद्योग विकास विभाग द्वारा सिफारिश किए जाने वाले उद्योग के तीन प्रतिनिधि ।

(झ) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सिफारिश किए जाने वाले और अन्य व्यक्ति जिन्हें आवश्यक समझा जाए :—

1. काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद का एक प्रतिनिधि ।
2. महा प्रबंधक (तकनीकी) राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, पूनम चेम्बर्स, डा० एनी बेसेंट रोड, वर्ली, बम्बई-400018 या उसका नामित व्यक्ति ।

4. सदस्य-सचिव

कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के अधीन निदेशक, काजू विकास निदेशालय, कोचीन ।

5. प्रेक्षक

(जो परिषद के सदस्य नहीं होंगे, परन्तु इन्हें परिषद की कार्य-वाही में सहायता देने के लिए अनिवार्यतः आमंत्रित किया जाएगा) ।

1. अध्यक्ष, भारतीय काजू निगम, नई दिल्ली या उसका प्रतिनिधि ।
2. वित्त सलाहकार, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग), नई दिल्ली ।
3. अर्थ और सांख्यिकी सलाहकार, कृषि मंत्रालय या उसका प्रतिनिधि ।
4. निदेशक, निर्यात निरीक्षण एजेन्सी, कोचीन ।

2. परिषद एक सलाहकारी निकाय होगा और इसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

1. केन्द्र तथा राज्य दोनों क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना तथा कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना ।
2. उत्पादन, परिसंस्करण और विपणन के संबंध में उपलब्ध प्रौद्योगिकी का जायजा लेना तथा अनुसंधान और विस्तार में आपसी सम्पर्क बनाते हुए उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसको अपनाना ।
3. विभिन्न एजेन्सियों को आवश्यकतानुसार पौध रोपण सामग्री की जरूरतों का मूल्यांकन करना और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए उपाय सुझाना ।
4. घरेलू और निर्यात बाजार दोनों में काजू की मांग पर विचार करना तथा यदि आवश्यक समझा गया तो कच्चे काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार को उपयुक्त सिफारिश करना ।
5. काजू परिसंस्करण उद्योग की जरूरतों और इस उद्योग में विविधता लाने के लिए उपायों का पता लगाना ।
6. काजू उत्पादन के संबंध में छोटे और सीमान्त किसानों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना और इसकी पूर्ति के लिए उपाय सुझाना ।
7. काजू उद्योग से संबंधित किसी भी अन्य मामले पर सरकार को सलाह देना ।

3. परिषद को विशेष मुद्दों पर विचार करने के लिए स्थाई समिति, तकनीकी समिति और तदर्थ समिति स्थापित करने की और विशिष्ट परियोजनों के लिए जब कभी आवश्यक हो, कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य विशेष हितों के प्रतिनिधियों को सह-योजित करने की शक्ति प्राप्त होगी ।

4. परिषद समय-समय पर ऐसे क्षेत्रों में बैठकें करेगी जहां काजू उगाए जाते हैं और जो व्यापार तथा उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्र है और भारत सरकार को सिफारिश करेगी ।

5. परिषद तब तक काम करता रहेगा जब तक इसे सरकार के संकल्प द्वारा समाप्त नहीं किया जाता है । परिषद के गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यकाल की अवधि परिषद में उनके नामजद किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की होगी, बशर्ते कि भारत सरकार के विशेष आदेश द्वारा इस अवधि को घटाया अथवा बढ़ाया नहीं जाता ।

6. संसद सदस्यों में से नामजद किए गए सदस्य संसद सदस्य न बने रहने की स्थिति में परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों और भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, कृषि विश्वविद्यालयों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्व-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी० वी० शेनोय, अपर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 1986

सं० एफ० 12-12/85-डी०-III(शा० शि०)—मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) की दिनांक 1 सितम्बर, 1986 की समसंख्यक अधिसूचना और उसके बाद की दिनांक 6 नवम्बर, 1986 की समसंख्यक संशोधन अधिसूचना के क्रम में श्री एस० के० चतुर्वेदी, युवा कार्य तथा खेल विभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव को, जो राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थान सोसायटी के एक सदस्य हैं, एतद्द्वारा डा० आर०एल० आनन्द, भूतपूर्व महानिदेशक, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान और सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थान सोसायटी के स्थान पर 1 दिसम्बर, 1986 से सोसायटी के सदस्य-सचिव के रूप में मनोनीत किया जाता है। वे इसी तारीख से अगले आदेशों तक नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे।

डा० बी० आर० गोयल, उप-शिक्षा सलाहकार,

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 1986

फा० सं० 7(II)-1/86-डी०-1(भाषा)—हिन्दी शिक्षा समिति को पिछली बार मंत्रालय के संकल्प सं० 7(II)-1/84-डी०-1-भाषा दिनांक 27 सितम्बर, 84 के द्वारा पुनः गठित किया गया था। समिति के तीन वर्ष के कार्य-काल के पश्चात् इसको एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप से और आगे पुनःगठित किया जाता है :—

संरचना :

1. राज्यमंत्री (शिक्षा और संस्कृति विभाग) अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, द्वारा नामित लोकसभा के चार सदस्य सदस्य, सभापति द्वारा नामित राज्य सभा के दो सदस्य
3. शिक्षा सचिव
4. सचिव, राजभाषा
5. संयुक्त शिक्षा सलाहकार भाषा
6. अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग।
7. प्रत्येक अहिन्दी भाषी राज्यों द्वारा नामित एक-एक प्रतिनिधि।
8. हिन्दी संस्थासंघ, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि।
9. निम्नलिखित स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं के एक-एक प्रतिनिधि :—

(1) महामंत्री, हिन्दी दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास।

(2) राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा।

(3) बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, बम्बई।

(4) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद।

(5) कर्नाटक हिन्दी महिला सेवा समिति, बंगलौर।

(6) केरल हिन्दी प्रचार सभा, त्रिवेन्द्रम।

(7) मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार सभा मण्डल।

(8) जोराम हिन्दी प्रचार समिति, आइजोल।

(9) राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गोहाटी।

(10) राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धमान, वैस्ट बंगाल जम्मू कश्मीर, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति।

तीन विख्यात हिन्दी अध्येता :

(1) श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, दिल्ली (प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया)

(2) श्रीमती मृणाल पाण्डेय, सम्पादक, (वामा), नई दिल्ली।

(3) प्रो० सीता राम झा (शाप) हिन्दी विभाग पटना विश्वविद्यालय।

दो भाषाई विशेषज्ञ :

प्रो० नगेन्द्र, अवकाश प्राप्त प्रो० दिल्ली।

डॉ० आर० के० शर्मा, भूतपूर्व कुलपति, कामेश्वर सिंह, संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।

निदेशक, उपसचिव भाषा प्रभाग, अस्थाई अतिथि निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, सदस्य-सचिव।

कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल मूल रूप से तीन वर्ष होगा जो दिसम्बर, 89 तक समाप्त होगा बशर्ते कि धारा 2-3 के अंतर्गत नामित सदस्य, संसद सदस्य न रहने पर समिति का भी सदस्य नहीं रहेगा।

2. समिति के पदेन सदस्य तब तक सदस्य रहेंगे जब तक वे उस पद पर बने रहते हैं जिसके कारण वे समिति के सदस्य हैं।

3. अन्य नामित सदस्य तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक भारत सरकार चाहेगी।

4. यदि किसी सदस्य के त्याग पर, मृत्यु आदि से कोई पद रिक्त होता है तो उस रिक्त स्थान पर नामित व्यक्ति समिति के कार्यकाल तक पद पर बना रहेगा।

कोरम

समिति की बैठकों के लिए कोरम समिति की कुल सदस्यता का एक तिहाई होगा।

कार्य

समिति, देश में हिन्दी के प्रचार और विकास से संबंधित नीति के मामलों पर भारत सरकार को सलाह देगी।

कार्यकारिणी उप समिति

समिति अपना कार्य प्रभावी रूप से कर सके, इसके लिए यह एक कार्यकारिणी उप समिति नियुक्त करेगी। उप समिति में सामान्यतया अधिक से अधिक 15 सदस्य होंगे जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा, समिति के अध्यक्ष उप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। उप समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे व्यक्तियों को या तो समिति के सदस्यों में से अथवा बाहर से ऐसे व्यक्तियों को नामित कर सकेंगे जिन्हें देश में हिन्दी के प्रचार और विकास से संबंधित समस्याओं का विशिष्ट ज्ञान और अनुभव हो।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी अहिन्दी भाषी राज्यों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रि-मण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक-सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय और भारतीय सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व-सामान्य की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

एम० आर० सिंह, सह शिक्षा सलाहकार

परिवहन मंत्रालय

जल भूतल परिवहन विभाग

(नौवहन महानिदेशालय)

बम्बई, दिनांक 10 दिसम्बर 1986

संकल्प

सं० 38-एस एच (1)/81—मुंबई पत्तन में विशेष व्यापार यात्री कल्याण समिति दिनांक 7-11-1984 के समसंख्यक संकल्प द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित की गई थी। नौवहन महानिदेशक ने तत्कालीन नौवहन और परिवहन मंत्रालय के पत्र सं० 1, एमडीएस(28)/76-एमए, दिनांक 15-10-1976 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस समिति की अवधि दिनांक 7-11-86 से छह महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. भारत के राष्ट्रपति के निजी एवं फौजी सचिव, नई दिल्ली।
2. पंत प्रधान सचिवालय, नई दिल्ली।
3. लोक सभा सचिवालय नई, दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियां)
4. केबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली।
5. परिवहन मंत्रालय जल-भूतल परिवहन विभाग, (नौवहन पक्ष), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियां)
6. कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. संचार मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।
13. वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
14. खाद्य और सिविल पूर्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।
15. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
16. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
17. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
18. उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।
19. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
20. श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली।
21. विधि तथा न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली।
22. संसदीय कार्य एवं पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली।
23. कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय, नई दिल्ली।
24. पेट्रोलियम और न्यूट्रल गैस मंत्रालय, नई दिल्ली।
25. योजना मंत्रालय, नई दिल्ली।
26. कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली।
27. विज्ञान और तकनीकी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली।
28. इस्पात और खान मंत्रालय, नई दिल्ली।
29. वस्त्र उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।
30. नगर विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
31. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
32. कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
33. परमाणु ऊर्जा विभाग, नई दिल्ली।

34. इलैक्ट्रानिकी विभाग, नई दिल्ली ।
35. सागर विकास विभाग, नई दिल्ली ।
36. अंतरिक्ष विभाग, नई दिल्ली ।
37. योजना आयोग, नई दिल्ली ।
38. मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद ।
39. मुख्य सचिव, अरूणाचल प्रदेश सरकार, श्रीनगर
40. मुख्य सचिव, आसाम सरकार, दिसपुर ।
41. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना ।
42. मुख्य सचिव, गुजरात सरकार, अहमदाबाद ।
43. मुख्य सचिव, गोवा, दमण और दिव सरकार, पणजी ।
44. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ ।
45. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।
46. मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर सरकार, श्रीनगर ।
47. मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार, बंगलूर ।
48. मुख्य सचिव, केरला सरकार, त्रिवेन्द्रम ।
49. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल ।
50. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई ।
51. मुख्य सचिव, मेघालय सरकार, शिलांग ।
52. मुख्य सचिव, ओडिसा सरकार, भुवनेश्वर ।
53. मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, चण्डीगढ़
54. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
55. मुख्य सचिव, तमिलनाडू सरकार, मदास ।
56. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
57. मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता ।
58. अध्यक्ष, मदास पोर्ट ट्रस्ट, मदास ।
59. भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक एसोसिएशन ।
60. अध्यक्ष तथा सचिव, राष्ट्रीय बंदरगाह बोर्ड, मुंबई ।
61. प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग, मुंबई कलकत्ता/मद्रास ।
62. अध्यक्ष तथा सदस्य, विशेष व्यापार यात्री कल्याण समिति, मद्रास/मुंबई ।
63. सार्वजनिक सूचना ब्यूरो, मुंबई ।
64. सार्वजनिक सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

जे० एस० गिल,
वरिष्ठ उप नौवहन महानिदेशक
कृते नौवहन महानिदेशक,

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 1st December 1986

CORRIGENDUM

No. 2/14/84-NS.—In this Ministry's Notification No. 2/14/84-NS dated 21-9-1984, under the heading "Third Prize (Rs. 20,000/-) each", the following entries may be deleted :—

"1583839 1402625 Rai Bareli Lalganj/ Uttar Pradesh."

OM PAL SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 4th December 1986

RESOLUTION

No. P-39014/1/86-MKT.—The term of the Committee set up vide this Ministry's Resolution of even number dated August 14, 1986 is extended upto May 14, 1987, for giving its report.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ARVIND VARMA, Jt. Secy.

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT))

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 15th December 1986

RESOLUTION

By Resolution No. DWE-61(84)/M/M Government of India have constituted a Development Panel for Match Industry valid for a period of two years from 19-11-1984 to 19-11-1986.

Government of India has now decided to extend the validity period of the above quoted Development Panel for Match Industry *for a further period of three months i.e.* from 19-11-1986 to 19-2-1987.

ORDER

That the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. C. GANJWAL, Director (Admn.).

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

New Delhi, the 4th December 1986

No. 14/11/86-CTE.—It is notified for general information that Dr. J. N. Baruah, Director, Regional Research Laboratory, Jorhat has been appointed as Chairman, Coordination Council for Chemical Sciences Group with effect from 1st October, 1986 till further orders in place of Dr. L. K. Doraiswamy, Director, National Chemical Laboratory, Pune. Consequently, Dr. Baruah will be a Member of the Governing Body and the Society of Council of Scientific & Industrial Research for the said duration and the name and designation of Dr. L. K. Doraiswamy appearing at S. No. 5 under para 2 of Notification No. 1/7/84-CTE dated 20th May, 1985 published in Part I, Section I of the Gazette of India be and is hereby replaced with that of Dr. J. N. Baruah, Director, Regional Research Laboratory, Jorhat.

A. P. MITRA,
Secy. to the Government of India,
Department of Scientific and Industrial Research,
and Director General, Scientific and Industrial Research,
New Delhi-110001

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi-110001, the 8th October 1986

RESOLUTION

No. 25-33(1)/86-LDT(STAT).—It has been decided by the Government of India to constitute a Committee to decide detailed methodology for collection of Animal Husbandry

and Dairying Statistics in the country after taking into account sound statistical princi les as well as functional requirements. The Constitution of Management Committee will be as under :—

Chairman

1. Additional Secretary,
Department of Agriculture & Cooperation,
(Incharge of Animal Husbandry).

Members

2. Animal Husbandry Commissioner,
Department of Agriculture & Cooperation.

3. Economic & Statistical Adviser,
Directorate of Economics & Statistics,
(Department of Agriculture & Cooperation).

4. Director,
Indian Agricultural Statistics,
Research Institute (IASRI),
(Indian Council of Agricultural Research)

Member Secretary

5. Joint Director,
(Animal Husbandry Statistics),
Department of Agriculture & Cooperation.

The Committee will perform the following functions :-

(a) Suggest improvement in the existing methodology for collection of Animal Husbandry & Dairying Statistics;

(b) Decide the type of surveys to be undertaken by the Animal Husbandry Statistical Cell, including the levels at which results are required; and

(c) Decide the key items on which Statistics are required to be collected and the periodicity thereof.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments/Union Territories, all concerned Ministries/Departments of Government of India, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, The President's Secretariat, The Planning Commission, The Controller and Auditor General of India, The Accountant General, Central Revenues, The Director of Commercial Audit Indian Council of Agricultural Research & Director, Indian Agricultural Statistics Research Institute (ICAR).

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. B MAHAJAN, Addl. Secy.

New Delhi, the 11th November 1976

RESOLUTION

No. 9-2/85-CA.1.—The Government of India have decided to reconstitute with immediate effect, the Indian Cashewnut Development Council set up vide their Resolution No. 48012/6/76-CA.1. dated the 19th October 1977. The reconstituted Council will be composed as follows :—

I. CHAIRMAN

A Non-official to be nominated by the Government of India.

II. VICE-CHAIRMAN

Horticulture Commissioner, Government of India, Department of Agriculture and Cooperation.

III. MEMBERS

(A) *Members of Parliament*

Three Members of Parliament (two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha) to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs.

(B) *Representatives of State Government*

(a) One representative from each of the following State Governments/Union Territories from the Department of Horticulture/Agriculture to be nominated by the respective State Governments :—

(a) Andhra Pradesh.
(b) Goa, Daman and Diu
(c) Karnataka.
(d) Kerala.
(e) Maharashtra.
(f) Orissa.
(g) Tamil Nadu.
(h) West Bengal.

(b) One representative of the Department of Soil conservation, Government of Orissa to be nominated by the State Government.

(c) One representative of each of the following organisations of the State Governments :

(1) Managing Director, Orissa State Cashew Development Corporation Bhubaneswar.

(2) Managing Director, Andhra Pradesh Forest Development Corporation, Hyderabad.

(3) Managing Director, Karnataka Cashew Development Corporation, Mangalore.

(4) Managing Director, Kerala Cashew Development Corporation, Quilon (Kerala).

(C) *Representatives of Central Government*

1. One representative of the Planning Commission.
2. One representative of the Ministry of Commerce.
3. Joint Secretary in charge of Extension or his nominee.
4. Director General, Indian Council of Agricultural Research or his nominee concerned with Cashew research.
5. Director General, Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi or his nominee concerned with *cashew processing technology.*
6. Project Coordinator (Cashewnut) Central Plantations Crops Research Institute, Post Kudlu, Kasargod, Kerala.
7. Agricultural Marketing Adviser, Department of Rural Development or his nominee.
8. One representative of the Ministry of Food and Civil Supplies, (Department of Civil Supplies).
9. Joint Commissioner (Horticulture) Department of Agriculture and Cooperation Government of India.

(D) *Representatives of Agricultural Universities*

One representative from each of the following agricultural Universities :—

1. Vice-Chancellor, Kerala Agricultural University, Cochin or his Nominee.
2. Vice-Chancellor, University of Agricultural Sciences, Bangalore or his nominee.
3. Vice-Chancellor, Tamil Nadu Agricultural University or his nominee.
4. Vice-Chancellor, Konkan Krishi Vidhya Peeth, Maharashtra, Depoli 415712 (District Ratnagiri) or his nominee.
5. Vice-Chancellor, Andhra Pradesh Agricultural University, Rajendranagar Hyderabad, or his nominee.

(E) *Representatives of Growers* :

Eight representatives of growers to be nominated by the respective State Governments from the major cashewnut growing states as follows :

1. Andhra Pradesh.
2. Goa Daman & Diu.
3. Kerala.
4. Karnataka.
5. Maharashtra.
6. Orissa.
7. Tamil Nadu.
8. West Bengal.

(F) *Representatives of trade* :

Three representatives of Trade to be recommended by the Ministry of Commerce.

(G) *Representatives of Industry* :

Three representatives of Industry to be recommended by the Department of Industrial Development.

(H) *Such Additional persons as may from time to time be nominated by the Government of India.*

1. Representative of Cashewnut Export Promotion Council

2. General Manager (Technical) National Bank for Agri. and Rural Development Poonam Chambers, Dr. Annie Besant Road, Worli Bombay-400 018 or his nominee.

IV. MEMBER SECRETARY

Director, Directorate of Cashewnut Development, Cochin under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation).

V. OBSERVERS :

(Who would not be members of the Council, but would invariably be invited to assist the Council in its deliberations).

1. Chairman, Cashew Corporation of India, New Delhi or his representative.

2. Financial Adviser, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) New Delhi.

3. Economics and Statistical Adviser, Ministry of Agriculture or his representative.

4. Director, Export Inspection Agency, Cochin.

2. The council will be an advisory body and will have the following functions :

(i) To review progress of development programmes both in Centre and State Sector and recommend measures for their proper implementation.

(ii) To take stock of the technology available in respect of production, processing and marketing and its adoption for increased productivity through linkage between research and extension.

(iii) To assess the requirements of planting material needed by various agencies and to suggest measures to meet these requirements.

(iv) To consider the demand of cashewnut both in domestic and export markets and make suitable recommendations to the Government for increasing the production of raw cashewnut if found necessary.

(v) To identify the requirements of the cashew processing industry and steps for its diversification.

(vi) To consider special needs of small and marginal farmers for cashew production and suggest measures to meet the same.

(vii) To advise Government on any other matter connected with the cashew industry.

3. The Council will have powers to set up Standing Committee, Technical Committee and ad hoc Committee to look into specific issues and to coopt members, such as representatives of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary for specific purposes.

4. The Council will meet periodically in areas in which Cashewnut is grown and at important centres of trade and industry and will make recommendations to the Government of India.

5. The Council will continue to function until it is abolished by a Resolution of the Government. The term of the non-official members of the Council would be 3 years from the date they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India.

6. Those members of the Council who are nominated from among Members of Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Ministers Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats, Indian Council of Agricultural Research, Council of Scientific and Industrial Research, Agricultural Universities.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. V. SHENOI, Addl. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 4th December 1986

No. F.12-12/85-D.III(PE).—In continuation of the Ministry of Human Resource Development, (Department of Education) Notification of even number dated the 1st September 1986 and subsequent amendment Notification of even number dated the 6th November 1986, Shri S. K. Chaturvedi, Joint Secretary incharge of Youth Affairs and Sports who is the Member of the Society for the National Institute of Physical Education and Sports is hereby nominated as its Member-Secretary vice Dr. R. L. Anand, former Director-General, Netaji Subhas National Institute of Sports and Member-Secretary, Society for the National Institutes of Physical Education and Sports with effect from 1st December 1986. He will also hold additional charge of the post of Director-General, NSNIS, Patiala from the same date also until further orders.

DR. B. R. GOYAL
Dy. Educational Adviser

New Delhi, the 12th December 1986

RESOLUTION

No. F.7(ii)-1/86-D.I(T).—The Hindi Shiksha Samiti was last reconstituted by this Ministry's Resolution No. F7(ii)-1/84-D.I.(T) dated 27th September 1984. After three years tenure of the Samiti, it is hereby further reconstituted as follows :

Composition :

Chairman

1. Minister of State (Education and Culture).

Members

2. Four Members of the Lok Sabha nominated by the Speaker and Two Members of the Rajya Sabha nominated by the Chairman.

3. Education Secretary.

4. Secretary, Department of Official Languages.

5. Joint Educational Adviser (Languages).

6. Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology.

7. One representative each nominated by the Governments of non-Hindi speaking States.

8. One representative from Hindi Sanstha Sangh.

9. One representative each from the following Voluntary Hindi organisations :

(i) General Secretary, Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, Madras.

(ii) Rashtrabhasha Prachar Samiti, Vardha.

(iii) Bombay Hindi Vidyapeeth, Bombay.

(iv) Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad.

(v) Karnataka Hindi Mahila Seva Samiti, Bangalore.

(vi) Kerala Hindi Prachar Sabha, Trivendrum.

(vii) Manipur Rashtrabhasha Prachar Samiti.

(viii) Zoram Hindi Prachar Samiti, Aizawl.

(ix) Rashtrabhasha Prashar Samiti, Guwahati.

(x) Rashtrabhasha Prachar Samiti, Vardhawan, West Bengal.

(xi) Jammu and Kashmir Rashtrabhasha Prachar Samiti, Srinagar.

10. Three prominent Hindi scholars :

(i) Shri Jagdish Prasad Chaturvedi, Delhi (Press Trust of India).

(ii) Mrs. Mrinal Pandey, Editor, VAMA, New Delhi.

(iii) Prof Sita Ram Jha (Evening), Deptt. of Hindi, Patna University.

11. Two Linguistic experts :

(i) Prof. Nagendra (Retd.), Delhi.

(ii) Dr. R. K. Sharma, Ex-Chancellor, Kameshwar Singh Sanskrit University, Darabhanga.

(ii) Dr. R. K. Sharma, Ex-Chancellor, Division, Permanent Invitee.

Member Secretary

13. Director, Central Hindi Directorate.

TENURE

The tenure of the members of the Samiti shall originally be upto the December 1989 provided that :

(i) A member nominated under Clauses 2-3 shall cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

(ii) The Ex-officio members of the Samiti shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti.

(iii) Other nominated members shall hold office during the leasure of the Government of India.

(iv) If a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death, etc. of a member, the member appointed in that vacancy shall hold office for the residue of the tenure of the Samiti.

Quorum

The quorum for the meetings of the Samiti shall be 1/3 of the total membership of the Samiti.

Functions

The Samiti shall advise the Government of India on matters of policy pertaining to the propagation and development of Hindi in the country.

Karyakarini Up Samiti

In order to enable the Samiti to discharge its various functions effectively it may appoint a Karyakarini Upsamiti. The Up-samiti shall ordinarily consist of not more than 15 members to be nominated by the Chairman. The Vice-Chairman of the Samiti shall function as the Chairman of the Up-samiti. The Chairman of the Up-samiti shall have the power to co-opt persons either from amongst the members of the samiti or from outside who possess specialist knowledge and experience of the problems of propagation and development of Hindi in the country.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the Non-Hindi speaking States, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President Secretariat and all the Ministries and Departments of Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazettee of India for general information.

S. R. SINGH
Asstt. Educational Adviser

MINISTRY OF TRANSPORT
DEPARTMENT OF SURFACE TRANSPORT
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

Bombay, the 10th December 1986

RESOLUTION

No. 38-SH(1)/81.—The Special Trade Passenger Welfare Committee at the Port of Bombay was reconstituted for a period of two years vide resolution of even number dated 7/11 84. The Director General of Shipping in exercise of the powers delegated to him vide the then Ministry of Shipping & Transport letter No. 1-MDS(8)/76 MA dated 15/10 76 has decided to extend the period of the Committee by six months effective from 7/11/86.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :—

1. The Private and Military Secretaries to the President of India, New Delhi.
2. The Prime Minister's Office, New Delhi.
3. The Lok Sabha Secretariat, New Delhi, (with 10 spare copies).
4. The Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. The Ministry of Transport, Department of Surface Transport, (Shipping Wing), New Delhi. (with 10 spare copies).
6. The Ministry of Agriculture, New Delhi.
7. The Ministry of Commerce, New Delhi.
8. The Ministry of Communications, New Delhi.
9. The Ministry of Defence, New Delhi.
10. The Ministry of Energy, New Delhi.
11. The Ministry of Environment and Forests, New Delhi.
12. The Ministry of External Affairs, New Delhi.
13. The Ministry of Finance, New Delhi.
14. The Ministry of Food & Civil Supplies, New Delhi.
15. The Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.
17. The Ministry of Human Resource Development, New Delhi.
18. The Ministry of Industry, New Delhi.
19. The Ministry of Information & Broadcasting, New Delhi.
20. The Ministry of Labour, New Delhi.
21. The Ministry of Law and Justice, New Delhi.
22. The Ministry of Parliamentary Affairs & Tourism, New Delhi.
23. The Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, New Delhi.
24. The Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.
25. The Ministry of Planning, New Delhi.
26. The Ministry of Programme Implementation, New Delhi.
27. The Ministry of Science and Technology, New Delhi.
28. The Ministry of Steel and Mines, New Delhi.
29. The Ministry of Textiles, New Delhi.
30. The Ministry of Urban Development, New Delhi.
31. The Ministry of Water Resources, New Delhi.
32. The Ministry of Welfare, New Delhi.
33. Department of Atomic Energy, New Delhi.
34. Department of Electronics, New Delhi.
35. Department of Ocean Development, New Delhi.
36. Department of Space, New Delhi.
37. Planning Commission, New Delhi.

38. The Chief Secretary, Govt. of Andhra Pradesh, Hyderabad.
39. The Chief Secretary, Govt. of Arunachal Pradesh, Srinagar.
40. The Chief Secretary, Govt. of Assam, Dispur.
41. The Chief Secretary, Govt. of Bihar, Patna.
42. The Chief Secretary, Govt. of Goa, Daman & Diu, Panaji.
43. The Chief Secretary, Govt. of Gujarat, Ahmedabad.
44. The Chief Secretary, Govt. of Haryana, Chandigarh.
45. The Chief Secretary, Govt. of Himachal Pradesh, Simla.
46. The Chief Secretary, Govt. of Jammu & Kashmir, Srinagar.
47. The Chief Secretary, Govt. of Karnataka, Bangalore.
48. The Chief Secretary, Govt. of Kerala, Trivandrum.
49. The Chief Secretary, Govt. of Madhaya Pradesh, Bhopal.
50. The Chief Secretary, Govt. of Maharashtra, Bombay.
51. The Chief Secretary, Govt. of Meghalaya, Shillong.
52. The Chief Secretary, Govt. of Orissa, Bhubaneshwar.
53. The Chief Secretary, Govt. of Punjab, Chandigarh.
54. The Chief Secretary, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
55. The Chief Secretary, Govt. of Tamil Nadu, Madras.
56. The Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
57. The Chief Secretary, Govt. of West Bengal, Calcutta.
58. The Chairman, Madras Port Trust, Madras.
59. The Indian National Shipowners Association, Bombay
60. The Chairman, & Secretary, National Harbour Board, Bombay-1.
61. The Principal Officer, Mercantile Marine Department, Bombay.
62. The Principal Officer, Mercantile Marine Department, Calcutta.
63. The PrincipalOfficer, Mercantile Marine Department Madras.
64. The Chairman & Members of Special Trade Passenger Welfare Committee, Madras.
65. The Public Information Bureau, Bombay.
66 The Public Information Bureau, New Delhi.

ORDERED also that the Resolution be ublished in Gazette of India for general information.

J. S. GILL,
Sr. Deputy Director General of Shipping
for Director General of Shipping

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1987